रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 5274/2008

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य ...अपीलार्थीगण

बनाम

श्री मदू गिरी (मृत) जरीये एल. आर. और एक अन्य ...प्रत्यर्थीगण

और

सिविल अपील संख्या 952/2009

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और एक अन्य ...अपीलार्थीगण

बनाम

मोहिनी देवी ...प्रत्यर्थी

सेवा कानून- पेंशन- प्रत्यर्थीगण-अपीलकर्ता-राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी- अभिनिर्धारित किया गया:पेंशन योजना को शासित करने वाले विनियमों में निर्धारित आवश्यक शर्तों का पालन न करने के कारण पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ का दावा करने के पात्र नहीं हैं- राजस्थान राज्यसड़क परिवहन निगम कर्मचारी पेंशन विनियम, 1989- धारा 3

निर्णय

एम. वाई. इकबाल, न्यायाधीश:

1. इन अपीलों में अंतर्वलित लघु प्रश्न यह हैः क्या अपीलकर्ता (राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम)के कर्मचारी उक्त पेंशन योजना को शासित करने वाले विनियमों में निर्धारित आवश्यक शर्तों के गैर-अनुपालन को देखते हुए पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ का दावा करने के पात्र हैं?

2. निःसन्देह, अपीलकर्ता- निगम के संबंधित कर्मचारी [सिविल अपील संख्या 5274/2008 में प्रतिवादी मदुगिरी और याकूब खान (अब मृत), सिविल अपील संख्या 952/2009 में स्वर्गीय नाथू सिंह प्रत्यर्थी के पति] क्रमशः 31.01.1991, 31.01.1992 और 31.03.1992 को सेवानिवृत्त हुए और उन्हें नियोक्ता के अंशदान के हिस्से सहित अंशदायी भविष्य

निधि (सीपीएफ) का भुगतान किया गया। 11.01.1993 को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी पेंशन विनियम, 1989 (संक्षेप में विनियम) लागू हुआ। उक्त विनियमों के खंड 3(1) के अनुसार, मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ उन कर्मचारियों को भी विकल्प दिया गया था जो इन विनियमों के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे लेकिन विकल्प की स्वीकृति और लाभ के अनुदान से पहले कर्मचारियों के समक्ष यह शर्त रखी गई कि वे नियोक्ता के सीपीएफ के हिस्से को ब्याज सहित वापस करें। उपरोक्त नामित कर्मचारियों ने विनियमों के तहत पेंशन योजना के पक्ष में अपने विकल्प का उपयोग किया, लेकिन इन्होंने निर्धारित समय के भीतर एकमुश्त ब्याज के साथ नियोक्ता के सीपीएफ के हिस्से की राशि जमा नहीं की।

3. उक्त विनियमों का खंड 3 (1) निम्नानुसार हैः

> '"विकल्प'का अर्थ यह है कि मौजूदा नियमित कर्मचारी या तो सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1989 को अपनाते हुए पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ के लिए या आरएसआरटीसी पेंशन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों के भीतर ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत शासित मौजूदा सीपीएफ योजना के सदस्य के रूप में बनेरहने के लिए लिखित सहमति दें। कोई भी मौजूदा

कर्मचारी जो 90 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने पेंशन और सीपीएफ विनियमों के पक्ष में अपने विकल्प का उपयोग किया है।

एक बार प्रयोग किए गए या प्रयोग किए गए माने गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी संशोधन के लिए कोई अभ्यावेदन वैध नहीं माना जाएगा। यह सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि उसका विकल्प उप महाप्रबंधक (पी एंड एफ) आरएसआरटीसी, जयपुर के कार्यालय में समय पर पहुंच जाए।

XXX XXX XXX

यदि कोई कर्मचारी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति 1 अप्रैल, 1989 और विकल्प का उपयोग करने के लिए निर्दिष्ट अवधि के बीच सीपीएफ का अंतिम रिफंड प्राप्त करता है, तो उसे पेंशन के लिए विकल्प प्रदान करने से पहले समय-समय पर नियोक्ता के हिस्से को प्रोद्भूत ब्याज के साथ एकमुश्त जमा करना होगा।"

4. चूंकि कर्मचारियों द्वारा एकमुश्त ब्याज के साथ नियोक्ता के सीपीएफ के हिस्से की राशि निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं की गई थी, इसलिए पेंशन लाभ के अनुदान के लिए उनके दावे को अपीलकर्ता-निगम द्वारा खारिज कर दिया गया। निगम के निर्णय को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी, जिसका निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया कि निगम पेंशन देने के संबंध में कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत विकल्प को स्वीकृत करे और ब्याज सहित अतिरिक्त भविष्य निधि की राशि, जो पहले दे दी गई है, को काट कर पेंशन को अनुमत करें। रिट याचिकाओं में पारित आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष डी. बी. सिविल विशेष अपील (डब्ल्यू) दायर की, जो इन अपीलों में आक्षेपित आदेशों द्वारा खारिज कर दी गई।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और विनियमों, विशेष रूप से खंड 3(1) जैसा कि इसमें ऊपर उद्धृत किया गया है, का अवलोकन करने के बाद हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अपनाया गया रुख उक्त विनियमों में पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं है।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मदुगिरि और याकूब खान द्वारा दायर रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया:

"तदनुसार, रिट के लिए यह याचिका प्रत्यर्थी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को यह निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है कि निगम पेंशन देने के संबंध में कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत विकल्प को स्वीकृत करे और ब्याज सहित अतिरिक्त भविष्य निधि की राशि, जो पहले दे दी गई है, को काट कर पेंशन को अनुमत करें।प्रत्यर्थी निगम, याचिकाकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली पेंशन अनुदान और अतिरिक्त भविष्य निधि राशि की कटौती के संबंध में सभी औपचारिकताओं को उस तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर पूरा करेगा, जिस तारीख को याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेंशन की स्वीकृति के लिए इस आदेश के अनुसार एक अभ्यावेदन के साथ प्रतिवादी नंबर 3 को जमा करते हैं।"

मोहिनी देवी द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका में भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे।

7. खण्ड पीठ ने विनियमों पर विचार किया है लेकिन इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट त्रुटि है। निर्विवाद रूप से, संबंधित कर्मचारी 1991 और

1992 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें नियोक्ता के अंशदान के हिस्से सहित सीपीएफ का भुगतान किया गया। इसलिए, विनियमों के खंड 3 के अनुसार, पहले राशि जमा किए बिना और विनियमों का पालन किए बिना अपीलकर्ताओं/कर्मचारियों को पेंशन लाभों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

8. इस प्रकार के प्रकरण**पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, पटियाला बनाम मंगल सिंह और अन्य (2011)** 11 एससीसी 702 में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया गयाः

> "51. हमारे सामने पेश की गई इन सभी अपीलों में जो सामान्य बात है, वह यह है कि प्रतिवादी पेंशन योजना को नियंत्रित करने वाले विनियमों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं। हम अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की प्रकृति और प्रभाव पर पहले ही विचार कर चुके हैं। इन वैधानिक विनियमों की व्याख्या उसी तरीके से करने की आवश्यकता है जो तरीका किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय अपनाया जाता है। निगम के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण भी इसकी अनिवार्य शर्तों और आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। इन शर्तों से हटकर

किया गया कोई भी कृत्य या आचरण इस तरह की कार्यवाही को अवैध और अमान्य बना देगा। इसके अलावा, प्रत्यर्थियों ने बिना किसी विरोध के सीपीएफ और ग्रेच्युटी से उत्पन्न सेवानिवृत्ति लाभों का लाभ उठाया है।

52. इन सभी अपीलों में प्रत्यर्थियों ने सेवानिवृत्ति के बाद 8 साल से अधिक की अनुचित देरी के साथ पहली बार पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ के लिए हमारे समक्ष दावा किया है। यह अविवादित है कि कुछ अपीलों में प्रत्यर्थियों को व्यक्तिगत नोटिसोंके गैर-अनुपालन की कथित रूप से जानकारी ना होने के कारण उन्होने पेंशन योजना को नहीं चुना। अन्य अपीलों में, हालांकि प्रत्यर्थियों ने पेंशन योजना के विकल्प के लिए आवेदन किया था, लेकिन निर्विवाद रूप से विनियमों द्वारा परिकल्पित उन शर्तों को कभी पूरा नहीं किया जो वैधानिक प्रकृति की हैं।"

9. इसलिए, हमारी यह राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और इसमें ऊपर निर्दिष्ट निर्णय में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च

न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानून में संधारणीय नहीं हैं।

10. पूर्वोक्त कारणों से, इन अपीलों की अनुमति दी जाती है और आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है। तथापि, हर्जे-खर्चे पर कोई आदेश नहीं होगा।

न्यायाधीश (पी. सदाशिवम)

न्यायाधीश (एम. वाई. इकबाल)

नई दिल्ली,

26 अप्रैल, 2013.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।